रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032026-270614
CG-DL-E-02032026-270614

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1052] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 2026/फाल्गुन 11, 1947
No. 1052] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2026/PHALGUNA 11, 1947

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2026

का.आ. 1104(अ).— आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 की उप-धारा (3) में यह उपबंध किया गया है कि राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों, अन्य कर्मचारियों, विशेषज्ञों और परामर्शियों के संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किये जाएं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 75 की उप-धारा (1) यह उपबंध करती है कि केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकती है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 75 की उप-धारा (2) यह उपबंध करती है कि विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्:-

(कक) धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों, अन्य कर्मचारियों, विशेषज्ञों और परामर्शियों का वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य नियम और शर्तें;

और, जो अधिकारी और अन्य कर्मचारी स्वीकृत पदों पर नियमित या प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं, वे भर्ती नियमों द्वारा शासित होते हैं और उन्हें केन्द्रीय सरकार के मानदंडों के अनुसार वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाता है;

और, जिन विशेषज्ञों और परामर्शियों को राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा एक विशिष्ट प्रयोजन और निश्चित अवधि के लिए संविदात्मक आधार पर नियुक्त किया जाता है, उन्हें एक समेकित पारिश्रमिक दिया जाता है, और उनकी शर्तें व्यक्तिगत अनुबंधों द्वारा शासित होती हैं;

और, ऐसी नियुक्तियों के लिए पारिश्रमिक, कार्यकाल, देय परिणाम और प्रदर्शन से जुड़ी शर्तों में लचीलेपन की अपेक्षा होती है, जिसे अल्पकालिक विशेषज्ञता प्राप्त करने के मूल प्रयोजन को प्रभावित किए बिना वैधानिक नियमों के माध्यम से प्रभावी ढंग से शामिल नहीं किया जा सकता है;

और, उन विशेषज्ञों और परामर्शियों, जो विविध, अत्यधिक विशिष्ट और समयबद्ध कार्यों के लिए नियुक्त किए जाते हैं, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन एक समान नियम निर्धारित करना, प्रशासनिक रूप से साध्य या वांछनीय नहीं है और मंत्रालय को इस संबंध में काफी समस्याओं और असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) और धारा 75 की उप-धारा (2) के खंड (कक) के अधीन उपबंध में सुधार करने तथा राष्ट्रीय प्राधिकरण के विशेषज्ञों और परामर्शियों को संदेय वेतन और भत्ते, तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों को निर्धारित करने की कठिनाई को दूर करने की आवश्यकता है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 79 की उप-धारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त कठिनाई को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आपदा प्रबंधन (कठिनाई निवारण) आदेश, 2026 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में, - (i) धारा 5 की उप-धारा (3) में, "विशेषज्ञों और परामर्शियों" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ii) धारा 75 की उप-धारा (2) के खंड (कक) में, "विशेषज्ञों और परामर्शियों" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 30-1/2025-आ.प्र.-II]

डॉ.राजेश गुप्ता, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 2nd March, 2026

S.O. 1104(E).— Whereas, sub-section (3) of section 5 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005) (hereafter referred to as the said Act) provides that the salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of officers, other employees, experts and consultants of the National Authority shall be such as may be prescribed by the Central Government;

And whereas, sub-section (1) of section 75 of the said Act provides that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purpose of the Act;

And whereas, clause (aa) of sub-section (2) of section 75 of the said Act provides that in particular, and without prejudice to the generality of the forgoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(aa) the salaries, allowances and other terms and conditions of service of officers, other employees, experts and consultants of the National Authority under sub-section (3) of section (5);

And whereas, the officers and other employees, who are appointed on a regular or deputation basis against sanctioned posts, are governed by the Recruitment Rules, and paid salary and allowances as per the Central Government norms;

And whereas, the experts and consultants, who are engaged by the National Authority on a contractual basis for a specific purpose and defined duration, are paid a consolidated remuneration, with terms and conditions governed by individual contracts;

And whereas, such engagements require flexibility in remuneration, tenure, deliverables, and performance linked conditions, which cannot be effectively captured through statutory rules without undermining the very objective of engaging short-term expertise;

And whereas, the prescribing uniform rules under sub-section (3) of section 5 of the said Act for experts and consultants, who are engaged for diverse, highly specialised and time-bound assignments, are not administratively feasible or desirable and the Ministry is facing a lot of problem and inconvenience for the same;

And whereas, there is a need to rectify the said provision of sub-section (3) of section 5 and clause(aa) of sub-section (2) of section 75 of the said Act and to remove the difficulty of prescribing the salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of experts, and consultants of the National Authority;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 79 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby makes the following Order to remove the above said difficulty, namely:

1. Short title and commencement.- (1) This Order may be called the Disaster Management (Removal of Difficulty) Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Disaster Management Act,2005, - (i) in section 5, in sub-section (3), the words "experts and consultants", shall be omitted.

(ii) in section 75, in sub-section (2), in clause (aa), the words "experts and consultants", shall be omitted.

[F No 30-1/2025-DM-II]

Dr. RAJESH GUPTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.03.02 15:37:10 +05'30'